रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1977/पौष 22, 1898
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1977/PAUSA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th January 1977

SUBJECT—*Import of spare parts—Issue of licences to actual users for the licensing period April 1976—March 1977.*

No. 3-ITC(PN)/77.—Attention is invited to Open General Licence No C-IV issued under Import trade Control Order No 21/76, dated the 22nd November, 1976, in terms of which general permission has been granted to actual users for import of permissible spare parts meant for maintenance of imported machinery or imported parts of indigenous machinery, without an import licence, subject to certain specified conditions

2. It is clarified that under the provisions of OGL No C-IV issued under Import Trade Control Order No 21/76, dated the 22nd November, 1976 referred to above, import of all spare parts allowed to actual users on a restricted basis as well as those import of which is allowed in consultation with the Directorate General of Technical Development, in terms of the policy indicated in Section II of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol I) for the period April, 1976—March 1977 will be allowed for import However, ball bearings cylindrical roller bearings, tapered roller bearings needle roller cages and needle roller bearings which are shown as restricted in Appendix 14 of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol I) for the period April 1976—March 1977, will not be allowed for import under the aforesaid Open General Licence

3 In regard to import of non-permissible spare parts required for maintenance of imported machinery or imported parts of indigenous machinery installed or used in the factory, including spare parts of ancillary equipment, control and laboratory equipments and safety appliances, it has been decided to grant licences to actual users for import of such non-permissible spare parts on the basis of one percent of the c.i.f. value of imported machinery installed or used in the licence holder's factory, subject to the following conditions :—

(i) the value of a single non-permissible spare part should not exceed Rs. 50,000.00.

(ii) Import of electric motors, process pumps, compressors, non-permissible in terms of import policy for the licensing period 1976-77, not exceeding one piece each will only be allowed against licences issued for non-permissible spare parts.

(iii) In the case of actual users requiring more than one number of the aforesaid items, requests will be considered by the licensing authorities on the recommendation of the sponsoring authorities concerned, subject to clearance from indigenous angle by the DGTD.

4 Actual Users desiring to avail of the above facility may submit applications direct to the licensing authorities concerned in the prescribed form and manner alongwith list of non-permissible spare parts (seven copies) with a declaration to the effect that the items proposed to be imported are spares and are required by the actual users for the maintenance of machinery and equipment installed or used in their factory, including spare parts of ancillary equipment, control and laboratory equipments and safety appliances

5. Import licences against applications received in terms of para (4) above will be granted alongwith list of goods without any further scrutiny from indigenous angle or recommendation of the sponsoring authority Applications, in terms of this public notice, may be made to the licensing authorities concerned in the prescribed form 'Q' given in Appendix 3 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77, to the licensing authorities concerned on or before 31st March, 1977. Applications received after this date will not be entertained

6. Actual Users who have already been granted licences for import of spare parts in terms of the import policy for the period 1976-77 can import non-permissible spare parts upto 20 per cent of the face value of licence in terms of para 51 of Section I of the Red Book Vol. I for April 1976—March 1977. In case, however, such actual users desire to avail of the provisions of this public notice, they are eligible to apply for a licence for import of non-permissible spare parts provided they surrender their licence(s) already issued for spare parts for the period April, 1976—March 1977, alongwith their application made in terms of para 4 of the Public Notice.

7. Requests from actual users for grant of licence for import of non-permissible spare parts in excess of the prescribed limit in terms of para 3 of this Public Notice will be considered by the licensing authorities on the recommendation of sponsoring authorities concerned. All such applications should be made through the sponsoring authorities concerned with full justification for licence for higher value and other relevant details The last date for receipt of such applications will be 31st March, 1977

8 It is also clarified that actual users, in addition to the issue of licences for import of non-permissible spare parts in terms of this public notice, will be eligible to import non-permissible spare parts upto 5 per cent of the value of actual user licence for raw materials and components and upto 10 per cent of the value of REP licence, as at present allowed in terms of the import policy for April, 1976—March 1977.

9. Import policy for the licensing period April 1976—March 1977, as given in Import Trade Control Red Book (Vol I) for the period April, 1976—March 1977, may be deemed to have been amended to the extent indicated above.

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1977

विषय.—फालतू पुर्जों का आयात लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस जारी करना।

सं० 3—आई० टी० सी० (पी० एम०)/77—आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 21/76 दिनांक 22 नवम्बर, 1976 के अन्तर्गत जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस सं० सी—4 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं को बिना किसी आयात लाइसेंस के ही, आयातित मशीनरी के रख-रखाव के लिए अनुमेय फालतू पुर्जों या देशी मशीनरी के आयातित पुर्जों के आयात के लिए कुछ विशेष शर्तों के अधीन सामान्य अनुमति प्रदान की गई है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 21/76 दिनांक 22 नवम्बर, 1976 के अन्तर्गत जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस सं० सी—4 के उपबन्धों के अधीन जिन फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रतिबन्धित आधार पर है वे उन सभी फालतू पुर्जों के लिए और जिन फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति अप्रैल, 1976—मार्च 1977 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के खंड 2 में निर्दिष्ट नीति के अनुसार महानिदेशालय तकनीकी विकास के परामर्श से दी जाएगी उन सभी फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति उनको दी जाएगी। लेकिन, बाल बेयरिंग, सिलेण्ड्रिकल रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, नीडल रोलर केजिज और नीडल करोलर बेयरिंग जो अप्रैल 1976—मार्च 1977 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट 14 मे प्रतिबन्धित रूप में दिखाए गए हैं उनके आयात की अनुमति पूर्वोक्त खुले सामान्य लाइसेस के अधीन नही दी जाएगी।

3. आयातित मशीनरी के रख रखाव के लिए अपेक्षित गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों या कारखाने में लगाई गई या उपयोग की गई देशी मशीनरी के आयातित पुर्जों, जिनमें अनुषंगी उपस्कर, नियंत्रण तथा प्रयोगशाला उपस्कर के फालतू पुर्जे और सेंफटी उपकरण शामिल है, के आयात के सबंध में यह निश्चय किया गया है कि ऐसे गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंसधारी के कारखाने में लगाई गई या उपयोग की गई आयातित मशीनरी के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के एक प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाए :—

(i) केवल एक गर-अनुमेय फालतू पुर्जे का मूल्य 50,000/— रुपए से अधिक नही होना चाहिए।

(ii) इलैक्ट्रिक मोटर, प्रोसस पम्प, कम्प्रेसर्स जिनकी 1976—77 लाइसेंस अवधि की आयात नीति के अनुसार अनुमति नही है, में से प्रत्येक के अधिक से अधिक एक नग के आयात की अनुमति केवल गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर दी जाएगी।

(iii) पूर्वोक्त मदो के एक नग से अधिक संख्या चाहने वाले वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में उनके आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा संबंध प्रायोजक प्राधिकारियो की सिफारिश पर और महानिदेशालय तकनीकी विकास द्वारा दसी दृष्टिकोण से निकासी कर देने पर विचार किया जाएगा ।

4. उपर्युक्त सुविधा को उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले वास्तविक उपयोक्ता गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों की सूची (सात प्रतियों) के साथ निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से आवेदन पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को इस संबंध मे घोषणा करते हुए प्रस्तुत करे कि आयात करने के लिए प्रस्तावित मदे फालतू पुर्जे है और उन्हे उनकी आवश्यकता अनुषगी उपस्कर के फालतू पुर्जों नियत्रण तथा प्रयोगशाला उपस्करो और सेफ्टी उपकरणो सहित, उनके कारखाने मे लगाई गई या उपयोग की गई मशीनरी और उपस्करो के लिए है ।

5. उपर्युक्त पैरा (4) के अनुसार प्राप्त हुए आवेदन पत्रो के मद्दे आयात लाइसेंस माल की सूची के साथ बिना किसी देशीय दृष्टिकोण से आगामी छानबीन या प्रयोजक प्राधिकारी की सिफारिश के प्रदान किए जायेगे । इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन पत्र आयात व्यापार नियत्रण नियम एव क्रिया विधि हैड बुक 1976–77 के परिशिष्ट 3 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र 'क्यू' मे संबधित लाइसेंस प्राधिकारियो को 31 मार्च 1977 को या इससे पहले भेज दिए जायें । इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेगे ।

6. वे वास्तविक उपयोक्ता जिन्हे पहले से ही 1976–77 की अवधि के लिए आयात नीति के अनुसार फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं वे अप्रैल 1976–मार्च 1977 के लिए रेड बुक (वा०–1) के खड 1 के पैरा 51 के अनुसार लाइसेंस के अकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों का आयात कर सकते है । लेकिन यदि ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जो इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाओ को उपलब्ध करना चाहते हैं वे गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे अप्रैल 1976–मार्च 1977 की अवधि के लिए फालतू पुर्जों के लिए पहले से ही जारी किए गए लाइसेंस (लाइसेंसो) को इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 4 के अनुसार भेजे गए आवेदन पत्र के साथ वापस कर देते है ।

7. इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक के गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के आवेदनों पर सबधित प्रायोजक प्राधिकारियो की सिफारिश पर विचार किया जाएगा । ऐसे सभी आवेदन पत्र सबधित प्रायोजक प्राधिकारियो के माध्यम से उच्च मूल्य के लाइसेंस के लिए पूर्ण औचित्य और अन्य संगत विवरणो के साथ भेजे जाने चाहिए । ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1977 होगी ।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार गैर-अनुमेय फालतू पुर्जो के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेसो के अतिरिक्त वास्तविक उपयोक्ता अप्रैल 1976–मार्च 1977 के लिए आयात नीति के अनुसार हाल में अनुमेय किए गए कच्चे माल और सघटको के लिए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के मूल्य के 5 प्रतिशत तक और आर० ई० पी० लाइसेंस के मूल्य के 10 प्रतिशत तक के गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात करने के पात्र होगे ।

9. अप्रैल 1976–मार्च 1977 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण रेड बुक (वा०–1) में यथा निहित अप्रैल 1976–मार्च 1977 की लाइसेंस अवधि के लिए आयात नीति को उपर्यक्त अंकित सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाए ।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977